न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (नागौर)

मुकदमा नम्बरः 62/2021

वादीः—

हंसराज पुत्र महावीर जाति खटीक उम्र करीबन 36 वर्ष निवासी वि.पी.ओ. दुजाना तहसील बेरी जिला रोहतक हरियाणा।

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. प्रहलादराम पुत्र गणेशाराम जाति रेगर उम्र 48 वर्ष
2. मोलीदेवी पुत्री गणेशाराम जाति रेगर उम्र 50 वर्ष
3. रामनिवासी पुत्र मोहन जाति मीणा उम्र 50 वर्ष
4. रामपाल पुत्र गणेशाराम जाति रेगर उम्र 65 वर्ष
5. बिदामीदेवी पत्नि रामबगस जाति रेगर उम्र 62 वर्ष
6. छीतरमल पुत्र रामबगस जाति रेगर उम्र 35 वर्ष
7. बाबूलाल पुत्र रामबगस जाति रेगर उम्र 28 वर्ष
8. मीरा पुत्री रामबगस जाति रेगर उम्र 47 वर्ष
9. सन्तोष पुत्री रामबगस जाति रेगर उम्र 42 वर्ष
10. अनिता पुत्री रामबगस जाति रेगर उम्र 26 वर्ष
11. मंजुदेवी पुत्री रामबगस जाति रेगर उम्र 24 वर्ष
12. श्रवणलाल पुत्र गणेशाराम जाति रेगर उम्र 63 वर्ष
13. सुल्तान पुत्र मूंगा जाति मीणा उम्र 80 वर्ष
14. सुल्तान पुत्र भागीरथ जाति मीणा उम्र 75 वर्ष
15. सांवताराम पुत्र मोहन जाति मीणा उम्र 44 वर्ष
    निवासीयान ग्राम श्यामगढ़ तहसील नावां।
16. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा मारोठ तहसील नावां।
17. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नावां तहसील नावां।

<u>दावा वास्ते भू—विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री अंशुल सिंह, आर.ए.एस.

उपस्थित :— श्री हरिराम गुर्जर अधिवक्ता वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 15:51:49 IST
Reason: SelfAttested

<u>निर्णय</u> दिनांकः— 12.04.2023

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम श्यामगढ़ तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 1306/1057 रकबा 8.63 हैक्टर स्थित रही है। जिसमें वादी हंसराज 449/863 हिस्सा [illegible]49 हैक्टर भूमि का खातेदार चला आ रहा है। उक्त भूमि मौके पर एक ही चक में स्थित है जो मौके

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

पर खसरा नम्बर 1306/1057 रकबा 8.63 हैक्टर में उत्तरी तरफ स्थित है। जिसपर आज दिन वादी निरंतर एवं निर्विवाद रूप से काबिज कृषक खातेदार चला आ रहा है तथा उक्त भूमि के चारों ओर वादी ने अपने सीमा चिन्ह कायम कर रखे है परन्तु विधिवत भू–विभाजन नहीं होने के कारण वादी की उक्त भूमि अन्य प्रयोजनार्थ रूपान्तरित नहीं हो पा रही है। वादी ने अपने खातेदारी अधिकारों में अभिलिखित उक्त भूमि को लाखों रूपया लगाकर समतल इत्यादि करवाकर काफी अव्वल एवं उपयोगी बनाया है। वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी संयुक्त होने के कारण वादी को अपने कब्जा काश्त एवं खातेदारी अधिकारों की उक्त 449/863 हिस्सा की 4.49 हैक्टर भूमि के बेहतर उपयोग एवं उपभोग में काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदारी का नाजायद फायदा उठाकर वादी को आये दिन तंग एवं परेशान करते रहते है। वादी अपने खातेदारी अधिकारों की भूमि के विधिवत भू–विभाजन करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी अपने काम के सिलसिले में अकसर बाहर रहता है जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण आये दिन वादी के सीमा चिन्हो के साथ छेडछाड करते रहते है। जिसका उन्हे कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं है इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वह स्वंय या अपने एजेन्टो के मार्फत वादी के कब्जा काश्त एवं खातेदारी अधिकारों की उक्त 449/863 हिस्सा की उत्तरी तरफ की 4.49 हैक्टर भूमि में दखल नहीं करे। राजस्व ग्राम श्यामगढ़ तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 1306/1057 रकबा 8.63 हैक्टर भूमि में से वादी के कब्जा काश्त एवं खातेदारी अधिकारों की 449/863 हिस्सा की उत्तरी तरफ की 4.49 हैक्टर भूमि के विधिवत भू–विभाजन की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाकर वादी की अलग जोत कायम करने हेतु तहरीर तहसीलदार नावां को जारी करने एवं वादी की उक्त भूमि में प्रतिवादीगण स्वयं या अपने एजेन्टों के मार्फत दखल नहीं करे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाने की इस्तदुआ की।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 15, 17 के तामील शुदा सम्मन प्राप्त होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र प्रतिवादी को स्ट्रक ऑफ करने पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 मोलीदेवी की लावल्द मृत्यु होने से तथा उनके कायम मुकाम पूर्व में रिकॉर्ड पर होने से प्रतिवादी संख्या 2 का नाम स्ट्रक ऑफ किया गया। प्रतिवादी संख्या 16 बैंक होने से बैंक का हित सुरक्षित रहने हेतु निर्णय में अंकन किया जावे। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 वादी हंसराज, पी.डब्ल्यू.2 संजय सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति रावणा निवासी श्यामगढ़ तहसील नावां एवं पी.डब्ल्यू.3 हेमन्त कु[illegible] निवासी कानपुरा श्यामगढ के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये एवं वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में खसरा जमाबंदी [illegible] नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 2 पेश किये। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। वादी तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु सहमत होने पर तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार नावां ने बंटवारा प्रस्ताव पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 15:51:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

अधिवक्ता वादी की अंतिम बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वादी बंटवारा प्रस्ताव अनुसार भू–विभाजन करवाने हेतु सहमत।

उपरोक्त विवेचनानुसार राजस्व ग्राम श्यामगढ़ तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 1306/1057 रकवा 8.63 हैक्टर भूमि में मुताविक वंटवारा प्रस्ताव में अंकित वादी हंसराज की भूमि का भू–विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम श्यामगढ़ तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि नवीन खसरा नम्वर 1306/1057 रकबा 8.63 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि का वादी हंसराज को खातेदार काश्तकार घोषित कर भू–विभाजन किया जाता हैं तथा वंटवारा प्रस्ताव में अंकित रास्ते को शामलाती रखते हुए गै.मु. रास्ता घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश करने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 12.04.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 15:31:49 IST
Reason: SelfAttested

अदालतः— उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला नागौर, राज.
अज अदालत :— श्री अंशुल सिंह, आर.ए.एस.

वादीः—

हंसराज पुत्र महावीर जाति खटीक उम्र करीबन 36 वर्ष निवासी वि.पी.ओ. दुजाना तहसील बेरी जिला रोहतक हरियाणा।

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. प्रहलादराम पुत्र गणेशाराम जाति रेगर उम्र 48 वर्ष
2. मोलीदेवी पुत्री गणेशाराम जाति रेगर उम्र 50 वर्ष
3. रामनिवासी पुत्र मोहन जाति मीणा उम्र 50 वर्ष
4. रामपाल पुत्र गणेशाराम जाति रेगर उम्र 65 वर्ष
5. बिदामीदेवी पत्नि रामबगस जाति रेगर उम्र 62 वर्ष
6. छीतरमल पुत्र रामबगस जाति रेगर उम्र 35 वर्ष
7. बाबूलाल पुत्र रामबगस जाति रेगर उम्र 28 वर्ष
8. मीरा पुत्री रामबगस जाति रेगर उम्र 47 वर्ष
9. सन्तोष पुत्री रामबगस जाति रेगर उम्र 42 वर्ष
10. अनिता पुत्री रामबगस जाति रेगर उम्र 26 वर्ष
11. मंजुदेवी पुत्री रामबगस जाति रेगर उम्र 24 वर्ष
12. श्रवणलाल पुत्र गणेशाराम जाति रेगर उम्र 63 वर्ष
13. सुल्तान पुत्र मूंगा जाति मीणा उम्र 80 वर्ष
14. सुल्तान पुत्र भागीरथ जाति मीणा उम्र 75 वर्ष
15. सांवताराम पुत्र मोहन जाति मीणा उम्र 44 वर्ष
    निवासीयान ग्राम श्यामगढ़ तहसील नावां।
16. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा मारोठ तहसील नावां।
17. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नावां तहसील नावां।

मुकदमां नम्बर :— 62/2021

निर्णय दिनांक :— 12.04.2023

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री हरिराम गुर्जर अधिवक्ता वादी को डिक्री दी जाती हैं कि :—

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम श्यामगढ़ तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 1306/1057 रकबा 8.63 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि का वादी हंसराज को खातेदार काश्तकार घोषित कर भू—विभाजन किया जाता हैं तथा बंटवारा प्रस्ताव में अंकित रास्ते को शामलाती रखते हुए गै.मु. रास्ता घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.04.2023 को जारी की गई।

मुहर (उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर))

दस्तखतः [signature]
ओहदा : उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL
मीलान	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 15:51:49 IST
Reason: SelfAttested